न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी श्री करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

(1) अपील संख्या 206/2021

1. नत्थासिंह पुत्र श्री रामसिंह बउम्र 62 वर्ष जाति जटसिख निवासी गुरूसर तहसील व जिला हनमानगढ।
2. दर्शन सिंह पुत्र श्री रामसिंह जाति जटसिख निवासी गुरूसर तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
3. जसवीर कौर पत्नी श्री गुरतेज सिंह जाति जटसिख निवासी गुरूसर तहसील व जिला हनुमानगढ।
4. सर्वजीत सिंह पुत्र श्री गुरतेज संह जाति जटसिख निवासी गुरूसर तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

—अपीलाण्ट

बनाम

1. गुरप्रीत सिंह पुत्र श्री बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी गुरूसर तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. हरमीत कौर पत्नी श्री अमरीक सिंह जाति जटसिख निवासी गुरूसर तहसील व जिला हनमानगढ।

— रेस्पोडेंट्स

3. वीरपाल कौर पत्नी श्री गुरसेवक सिह पुत्र श्री गुरतेज सिंह जाति जटसिख निवासी गुरूसर तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
4. गुरसिमरन सिंह पुत्र स्व0 गुरसेवक सिंह नाबालिग जरिये कुदरती वलीया माता मु0 वीरपाल कौर पत्नी श्री गुरसेवक सिंह पुत्र श्री गुरतेज संह जाति जटसिख निवासी गुरूसर तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
5. शाखा प्रबन्धक यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा हनुमानगढ [illegible] तहसील व जिला हनुमानगढ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2022.05.17 11:57:57 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

6. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक (एडीबी) शाखा हनुमानगढ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ।

7. शाखा प्रबन्धक इलाहाबाद बैंक शाखा हनुमानगढ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ।

8. तहसीदार राजस्व हनुमानगढ।

–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
विरूद्ध आदेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ,
निर्णय दिनांक 28.09.2021 व प्राथमिक डिक्री दिनांक 27.10.2021,
प्रकरण संख्या 37/2019 अनवान गुरप्रीतसिंह आदि बनाम नत्थासिंह आदि

(2) अपील संख्या 2021/247

1. दर्शन सिंह पुत्र श्री रामसिंह जाति जटसिख निवासी गुरूसर तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. जसवीर कौर पत्नी स्व0 श्री गुरतेज सिंह जाति जटसिख निवासी गुरूसर तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
3. सर्वजीत सिंह पुत्र स्व0 श्री गुरतेज सिह जाति जटसिख निवासी गुरूसर तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

–अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण

बनाम

1. गुरप्रीतसिंह पुत्र श्री बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी गुरूसर तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. हरमीत कौर पत्नी श्री अमरीक सिंह जाति जटसिख निवासी गुरूसर तहसील व जिला हनमानगढ।

— रेस्पोडेंट्स/वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2022.05.17 11:57:57 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

3. नत्थासिंह पुत्र श्री रामसिंह जाति जटसिख निवासी गुरूसर तहसील व जिला हनुमानगढ।
4. वीरपाल कौर पत्नी श्री गुरसेवक सिह पुत्र श्री गुरतेज सिंह जाति जटसिख निवासी गुरूसर तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
5. गुरसिमरन सिंह पुत्र स्व0 गुरसेवक सिंह नाबालिग जरिये कुदती वलीया माता मु0 वीरपाल कौर पत्नी श्री गुरसेवक सिंह पुत्र श्री गुरतेज संह जाति जटसिख निवासी गुरूसर तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
6. शाखा प्रबन्धक यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा हनुमानगढ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ।
7. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक (एडीबी) शाखा हनुमानगढ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ।
8. शाखा प्रबन्धक इलाहाबाद बैंक शाखा हनुमानगढ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ।
9. तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ।

—रेस्पोडेण्ट्स/

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ (राज.)

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
विरूद्ध आदेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ,
निर्णय दिनांक 28.09.2021 व प्राथमिक डिक्री दिनांक 27.10.2021,
प्रकरण संख्या 37/2019 अनवान गुरप्रीतसिंह आदि बनाम नत्थासिंह आदि

उपस्थिति:—

श्री राजेशदीपराय अभिभाषक अपीलाण्ट अपील सं0 2021/247
भोजराज भार्गव अभिभाषक अपीलाण्ट अपील संख्या 2021/206
श्री प्रद्युमन सिंह परमार अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1, 2
श्री रविन्द्र कुमार भोबिया, राजकीय अभिभाषक

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2022.05.17 11:57:57 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक 10.01.2022

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 आरटीएक्ट में एक

राजस्व अपील प्राधिकारी

वाद प्रस्तुत किया। वादपत्र में कथन कियाकि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की चक 14 एचएमएच पटवार हल्का कोहला के जमाबन्दी सम्वत 2072–75, खाता संख्या 67/50 पत्थर नम्बर 141/282 मुरब्बा नम्बर 42 किला नं. 1 ता 25 की कुल 6.325 है भूमि कृषि भूमि मय खाला व रास्ता राजस्व रिकार्ड में संयुक्त रूप से दर्ज है। संयुक्त खातेदारों के मध्य भूमि सींव बट व रकमराज व पानी की पर्ची आदि को लेकर झगड़ा रहता है। इसलिए वादीगण ने चक 14 एचएमएच पटवार हल्का कोहला के खाता संख्या 67/50 के पत्थर नम्बर 141/282 के मुरब्बा नम्बर 42 के किला नं. 1, 2, 9 ता 12, 13/0.127, 18 ता 23 मय गैर मुमकिन कृषि भूमि मय खाला एवं रास्ता को कब्जा काश्त के अनुसार अलग से खाता विभाजन करवाने का अनुतोष मांगा। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय 28.9.2021 पारित किया एवं दिनांक 27.10.2021 को प्राथमिक डिक्री पारित की। जिससे व्यथित अपीलार्थीगण ने उक्त दो अलग अलग अपीलें पेश की हैं

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई

3. अपील संख्या 2021/206 के अपीलाण्ट के अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली की आदेशिका से परे जाकर आदेश पारित किया है। सभी पक्षकारान से साक्ष्य सबूत लेकर ही प्रकरण का निस्तारण किया जाना चाहिए था। अपीलाण्ट व प्रतिवादी संख्या 2 से 5 ने काउण्टर क्लेम पेश किया हुआ है प्रकरण में उनके द्वारा जरिये अधिवक्ता पैरवी की जा रही थी। लेकिन अपीलाण्ट के अधिवक्ता को बिना कोई सूचना दिये एकतरफा कार्यवाही कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद का कोई विवेचन नहीं किया है न ही काउण्टर क्लेम के संबंध में कोई निर्णय किया है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री कतई गलत, विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2022.05.17 11:57:57 IST
Reason: SelfAttested

4. अपील संख्या 2021/247 के अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट के अधिवक्ता श्री श्यामलाल नागपाल थे। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित करने से पूर्व अपीलांट के अधिवक्ता को कोई सूचना सम्प्रेषित नही की । दिनांक 28.09.2021 को प्रशासन

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

गांवों के संग अभियान चल रहा था तथा पत्रावली वास्ते जवाब स्टेट के लिए मुकर्रर थी। अपीलाण्ट को बिना सुने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है गई है। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम पेश किया था। जवाब दावा एवं काउण्टर क्लेम के आधार पर विवादक विरचित किये बिना व साक्ष्य लिये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी गई है। अपीलाण्ट के काउण्टर क्लेम का कोई निर्णय नही किया है। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

5. दोनों अपीलों में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट ने काउण्टर क्लेम की जो अपील पेश की है उसमें अपीलाधीन निर्णय की जानकारी के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। अपील संख्या 247/2021 को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल 22.11.2021 को प्राप्त करने के उपरान्त दिनांक 16.12.2021 को अपील पेश की है। इतनी देरी का कोई कारण नही बताया है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्राथमिक डिक्री में क्या गलत किया है यह अपीलाण्ट ने नही बताया है। अपीलाण्ट ने मियाद निकलने के बाद काउण्टर क्लेम की अपील पेश की है जो किले मैने मांगे है, उनको अपीलाण्ट ने चैलेन्ज नही किया है। पत्रावली की रिकार्ड में से किले लिये हुए हैं। विचारण न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. दोनों अपीलों के अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध दो अलग अलग अपीलें प्रस्तुत की हैं। दोनों अपीलों के अपीलाण्ट्स का कथन है कि उनके काउण्टर क्लेम पर कोई विवेचन नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट ने केवल मात्र खाता विभाजन का वाद पेश किया था। जिसे प्राथमिक डिक्री [illegible] है और अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीदार हनुमानगढ को [illegible] भूमि पर [illegible] नियुक्त कर आदेश दिया है कि वह रास्ता खाला की सुविधा का ध्यान [illegible] रखते हुए अच्छी में से अच्छी व खराब में खराब भूमि के हिसाब से राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना में रास्ते खाले की सुविधा का ध्यान मे रखते हुए तकसीम रिपोर्ट प्रस्तुत करे हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2022.05.17 11:57:57 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी

इस आदेश से स्पष्ट है कि अभी खाता विभाजन की रिपोर्ट आनी शेष है और अपीलाण्ट्स के पास अपने काउण्टर क्लेम के संबंध में कथन करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में पर्याप्त समय है। वह खाता तकसीम की रिपोर्ट के दौरान या उपरान्त तथा अंतिम डिक्री पारित करने से पूर्व अपनी आपत्तियां अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है, जिसके लिए उसके पास पर्याप्त समय है। अपीलाण्ट ने अपने काउण्टर क्लेम में अच्छी मंदी के हिसाब से तकसीम किये जाने तथा रास्ता खाला का प्रबंध करने का अनुतोष मांगा है और अधीनस्थ न्यायालय ने अच्छी में से अच्छी व खराब में से खराब भूमि के हिसाब से ही खाता विभाजन की रिपोर्ट मंगवाई है। कानूनन खाता विभाजन का वाद राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना में रिपोर्ट मंगवाकर निर्णित होना चाहिए तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त कानूनी प्रावधानों के मद्देनजर रखते हुए प्राथमिक डिक्री पारित की है जो पूर्णतः विधि सम्मत है, जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में दोनों अपीलें खारिज किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर दोनो अपीलें खारिज की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.09.2021 व प्राथमिक डिक्री दिनांक 27.10.2021 यथावत रखे जाते है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों में अलग अलग रखी जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 10.1.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/1/22

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2022.05.17 11:57:57 IST
Reason: SelfAttested